बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–1–55/2020 264 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

श्री लक्ष्मण प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, आरा अन्तर्गत पदस्थापन काल में कोईलवर बबूरा पथ से बागमझौवा पथ का वर्ष–2010–11 में कराये गये मरम्मति कार्य में अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 18786 अनु0 दिनांक 25.11.2011 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में निम्न दो आरोप गठित किए गये:–

(i) पूरी सड़क (3.93 कि0मी0) को जी0सी0बी0 द्वारा कोड़कर समतल कर दिया गया, किन्तु इस सतह पर रोलर नहीं चलाया गया। एकरारनामा एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पथ के 10 प्रतिशत हिस्से में G.S.B. Gr.-I का कार्य किया हुआ नहीं पाया गया।

(ii). एकरारनामा एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पथ के 40 प्रतिशत में डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 को 75 मी0मी0 की मुटाई में तथा पूरे पथ में ग्रेड–3 को 75 मी0मी0 की मुटाई में करने का प्रावधान था, परन्तु स्थल जॉच में मात्र एक लेयर में मेटल बिछा हुआ पाया गया, जिसकी औसत मुटाई 78 मी0मी0 है। Binder के स्थान पर खेत की मिट्टी का प्रयोग किया गया था।

3. इस प्रसंग में श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 27.04.2012 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 2104 अनु0 दिनांक 31.05.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री गोपाल नारायण सिंह, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

4. विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के ज्ञापांक 467 दिनांक 17.06.2013 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित कर दिया गया।

5. अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 87 दिनांक 25.05.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित उक्त दोनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री प्रसाद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत विभागीय पत्रांक 2484 अनु0 दिनांक 11.10.2018 द्वारा निम्न असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी:–

(i) श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में कहा गया कि पथ के गड्डों को भरने में जिन जगहों पर जी0एस0बी0 ग्रेड–1 एवं डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 का

कार्य कराया गया, जांच समिति द्वारा वैसे हिस्सो में जांच नहीं की गयी। जाँच समिति द्वारा मात्र चार स्थानों पर ही डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–3 का परत काटा गया था। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के बचाव बयान को स्वीकार किया गया। उल्लेखनीय है कि पथ में कराये गये 10 प्रतिशत जी0एस0बी0 ग्रेड–1 एवं 40 प्रतिशत डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 को जोड़ने पर 50 प्रतिशत हो जाता है। यह मात्र संयोगवश नहीं हो सकता है कि जॉच के समय जिन चार विभिन्न स्थानों पर डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–3 का परत काटा गया वहॉ पर जी0एस0बी0 ग्रेड–1 एवं डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 का गुणवता जॉचफल अनुमान्य सीमा अन्तर्गत होने से बाइंडर के रूप में खेत की मिट्टी का उपयोग करने के आरोप को अप्रमाणित माना है। प्रयोगशाला जॉच में **Stone metal** की गुणवता **Binding Material** से जोड़ना सही प्रतीत नहीं होता है। खेत की मिट्टी **Stone metal** के रासायनिक एवं भौतिक गुणों को प्रभावित नहीं कर सकती है। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

7. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान दिनांक–03.12.2018 की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न बिन्दुओं के आलोक में द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाया गया:–

(i) प्रश्नगत पथ की लम्बाई 3910 मीटर एवं चौड़ाई 3.05 मीटर थी। इसके मरम्मति कार्य का प्राक्कलन पथ के 40 प्रतिशत भाग को **Damaged** एवं 60 प्रतिशत भाग में पूर्व से बने Vituminous परत को Intact मानकर बनाया गया था। पथ मरम्मति कार्य के अन्तर्गत पथ के 10 प्रतिशत में बने अधिक गहराई वाले बडे–बडे **Pots** को **GSB Grading-I** से भरने के पश्चात् इस 10 प्रतिशत क्षेत्रफल एवं 30 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम गहराई वाले अतिरिक्त छोट **Pots** अर्थात् कुल 40 प्रतिशत क्षेत्रफल को **WBM Gr-II** से भरकर पथ की सतह को समतल किया जाना था। **Levelling course** का कार्य समाप्त होने के उपरान्त पथ की पूरी लम्बाई एवं चौड़ाई में 75 मि0मी0 संपीड़ित मुटाई में एक परत **WBM Gr-III** का कार्य किया जाना था। **WBM Gr-III** के कार्य के पूर्व बिना **Pot** वाले 60 प्रतिशत भाग के **Old Bituminous surface** को 50 मि0मी0 तक **Scarifying** करना था यानि उखाड़ा जाना था। **WBM Gr-III** के कार्य के उपरान्त **Premixing** का कार्य किया जाना था।

(ii) तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा इस पथ की जॉच दिनांक 21.10.2010 को की गयी थी। तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गई स्थल जॉच के समय उक्त पथ निर्माण कार्य से संबंद्ध सहायक अभियंता श्री सीताराम सहनी उपस्थित थे। जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच के दौरान किये गये कार्य की मुटाई की चार स्थलों पर जॉच की गई। प्रत्येक स्थल पर तीन स्थानों पर सड़क के दोनों किनारे एवं मध्य में मुटाई की मापी ली गई।

(iii) जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.2, 5.0.1 एवं 5.0.2 के अनुसार जॉच के जॉचित किसी भी बिन्दु पर **GSB Grading-I** का कार्य किया हुआ नहीं पाया गया। पूरे पथ की लम्बाई में मात्र एक **Layer** में **WBM Gr-III** का कार्य किया हुआ पाया गया जिसकी औसत मुटाई 78 मि0मी0 पायी गयी। स्पष्ट है कि **WBM Gr-II** का कार्य भी नहीं पाया गया।

(iv) यह बात सही है कि GSB Grading-I का कार्य पथ की पूरी लम्बाई 3930 मीटर के 10 प्रतिशत भाग में बने गहरे Pots में कराया जाना था जिसे उन Pots को WBM Gr-II से Level कर पूरे पथ में एक Layer WBM Gr-III का कार्य करा देने के उपरान्त Locate कर पाना आसान नहीं है, लेकिन जब कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले सहायक अभियंता की मौजूदगी में जॉच की जा रही हो तो यह मुश्किल नहीं है। प्रभारी सहायक अभियंता जिनके द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ–साथ कराये गये कार्य की मापी की जॉच की गई थी, को जॉच के दौरान GSB Grading-I वाले किसी भी एक स्थान को चिन्हित कर उसे जॉच पदाधिकारी को इंगित करना चाहिए था ताकि जॉच के दौरान पुष्टि हो सके कि GSB का कार्य कराया गया है किन्तु प्रभारी सहायक अभियंता ऐसा एक भी स्थान को Locate नहीं कर पाये जिसका जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख भी किया गया है। यह इस बात को दर्शाता है कि GSB Grading-I का कार्य किया ही नहीं गया था। इस प्रकार WBM Gr-II का कार्य जिसे पथ की पूरी लम्बाई के 10 प्रतिशत भाग में बने Pots में Levelling cource के रूप में कराया जाना था, उसे भी Locate किया जा सकता था। कार्य की मापी पुस्तिका के पृष्ठ 4 को देखने से पता चलता है कि पथ के 3rd कि0मी0 में क्रमशः 95 मीटर, 46.50 मीटर, 82.95 मीटर, 100 मीटर की लम्बाई में GSB Grading-I एवं पृष्ठ–2 के अनुसार 3rd कि0मी0 में क्रमशः 95 मीटर, 82.95 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर 150 मीटर, 80 मीटर की लम्बाई में WBM Gr-II का कार्य कराया गया तो इतने लम्बे–लम्बे Stretch को पथ के एक कि0मी0 में आसानी से Locate किया जा सकता है, वह भी कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले सहायक अभियंता के मौजूदगी में, लेकिन कार्य के प्रभारी सहायक अभियंता, श्री सीताराम सहनी जॉच पदाधिकारी को एक भी ऐसे स्थान Locate कर नहीं बता पाये। वस्तुतः जब कार्य ही नहीं हुआ था तो वे क्या दिखलाते? स्पष्ट है कि न तो GSB Grading-I का कार्य कराया गया था न ही WBM Gr-II का कार्य कराया गया था। महत्वपूर्ण बात है कि जॉच के दौरान प्रभारी सहायक अभियंता की उपस्थिति जॉच पदाधिकारी द्वारा की गई जॉच के फलाफल से उनकी सहमति एवं स्वीकारोक्ति को दर्शाता है।

(v) जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पथ के मरम्मति कार्य के दौरान पथ में बने Pots को Repair करने एवं Intact भाग को Scarifying करने जैसा कि प्रावधान था, के बदले पथ को कोड़कर बिना Proper rolling किये असमतल Surface पर ही एक Layer WBM Gr-III का कार्य करा दिया गया। फलस्वरूप जॉच में विभिन्न बिन्दुओं पर इसकी अलग–अलग मुटाई यानि जॉचित 12 विभिन्न बिन्दुओं पर 50mm से 107mm तक मुटाई पायी गयी है जो जॉच प्रतिवेदन की कंडिका–4.0.3 की तालिका में दर्शाये गये सड़क की मुटाई से स्पष्ट है जिसका औसत जॉच प्रतिवेदन में 75mm अंकित किया गया है।

8. इस बीच श्री प्रसाद के दिनांक 30.11.2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 2104 अनु0 दिनांक 31.05.2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना ज्ञापांक 1069 दिनांक 09.06.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए श्री प्रसाद को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 1402 अनु0 दिनांक 24.08.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1632 दिनांक 01.10.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री लक्ष्मण प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, आरा सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

02.02.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–55/2020 265 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–55/2020 265 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 265 /पटना, दिनांक :– 2-2-21

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक पत्रांक 1632 दिनांक 01.10.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—55/2020 265 /पटना, दिनांक :— 2-2-21

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री लक्ष्मण प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—2, आरा सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर। पत्राचार का पता—फ्लैट नं0—403, Block-A, लव—कुश अपार्टमेंट, लोहियानगर, जगदेव पथ, बेली रोड, डाकघर—बी0भी0 कॉलेज, थाना—हवाई अड्डा, पटना, जिला—पटना, पिन कोड—800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.02.21

उप सचिव